



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 1981/चैत्र 26, 1903
No. 165] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 1981/CHAITRA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० खा० 303(अ).—सं० ई०(सी०) ओ०, 1977/ए० एम०(201) :—प्रायात तथा
निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) प्रादेश 1977 में और आगे
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रादेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस प्रादेश को निर्यात (नियंत्रण) 12वें संशोधन प्रादेश की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) प्रादेश, 1977 में :—

(1) भाग “ख” अनुसूची-1 में, क्रम सं० 45(14) के बाव निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—

“(15)—क्रिसोलाइट, क्रोसिबोलाइट और ग्रयह की एमोसाइट किस्में

(16)---कायोलीनाइट (चीनी मिट्टी)

(2) छुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 83 के बाद निम्नलिखित सब जोड़ी जाएगी :—

1	2	3	4
84.	कायोलीनाइट (चीनी मिट्टी)	बी-45(16)	

[मि० सं० 6(13)/81-ई० 2]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 16th April, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 303 E.—No. E(C)O, 1977/AM (201).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twelfth Amendment Order, 1981.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

(i) In Part 'B' Schedule I, the following items shall be added after S. No. 45 (xiv) :—

“(xv)—Crysotile, Crocidolite and Amosite varieties of Asbestos.

(xvi)—Kaolinite (China clay)”.

(ii) In OGL-3, the following item shall be added after S. No. 83 :—

1	2	3	4
84.	Kaolinite (China Clay)	B.45(xvi)	

[F. No. 6(13)/81-E.II]

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports